

21

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-13/अ0प्र0-01-12/2025

प्रेषक,

1067

/पटना, दिनांक- 28.1.20

आदित्य प्रकाश,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी/सिकरहना,
ढाका/बगहा-1 एवं कहलगाँव।

विषय : मांग संख्या 37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
उपमुख्य शीर्ष -00- लघुशीर्ष- 001- निदेशन एवं प्रशासन- उपशीर्ष- 0009-
अभियंत्रण स्थापना (ग्रा0का0वि0) के संविदा सेवायें इकाई मद में भुगतान हेतु
वित्तीय वर्ष 2025-26 में निधि का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष
2025-26 में व्यय हेतु संविदा कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹ 11.08826 लाख (ग्यारह
लाख आठ हजार आठ सौ छब्बीस) रू० मात्र की राशि सारणी-1 के अनुसार कार्यालयों के नाम
के सामने अंकित राशि के अनुरूप आवंटन प्रदान किया जाता है।

सारणी-1

(सभी राशि लाख रू० में)

क्र०सं०	ग्रा० का० वि० के कार्यालय का नाम	अधियाचित राशि	आवंटित राशि	पत्रांक/दिनांक
1	2	3	4	5
1	कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी	3.50000	3.50000	2415/26.11.2025
2	कार्य प्रमंडल, ढाका	5.76000	5.76000	2388/17.12.2025
3	कार्य प्रमंडल, बगहा-1	1.11426	1.11426	2075/13.09.2025
4	कार्य प्रमंडल, कहलगाँव	0.71400	0.71400	1924/22.12.2025
	कुल	11.08826	11.08826	

2. यह राशि मांग संख्या 37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
उप मुख्य शीर्ष-00- लघुशीर्ष-001- निदेशन एवं प्रशासन- उपशीर्ष- 0009- अभियंत्रण स्थापना
(ग्रा0का0वि0) के अन्तर्गत 28 02 संविदा सेवायें ईकाई में वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय
हेतु उपबंधित राशि से विकलित होगी। जिसका विपत्र कोड सं०- 37-2515000010009 है।

3. उक्त आवंटन से संविदा कर्मियों का वेतन का भुगतान, न्यायालय से अच्छादित मामले
एवं बकाया का भुगतान नियमानुसार ही किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
सुनिश्चित होना चाहेंगे कि बकाया आदि का भुगतान पूर्व में न की गयी हो।

4. सारणी में अंकित राशि का आवंटन CFMS प्रणाली के माध्यम से किया गया है।

5. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि० (2) दिनांक-
17.04.1998, पत्रांक-277/वि० दिनांक 28.03.2025 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-4010
दिनांक-08.04.2025 में निहित निदेशों के आलोक में निर्गत किया गया है।

6. इस आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 475 में दिए गए निदेश के आलोक में किया जाए। इसके साथ ही वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों/नियमावली में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।
7. आवंटन प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का संचिका सं०-13/अ०प्र०-01-12/2025 के पृ०-48/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-12/2025 1067 /पटना,दिनांक- 28.7.28
 प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को निबंधित डाक से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-12/2025 1067 /पटना,दिनांक- 28.7.28
 प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-12/2025 1067 /पटना,दिनांक- 28.7.28
 प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ मा० मंत्री के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/संयुक्त सचिव, के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/ वित्त विभाग (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-01-12/2025 1067 /पटना,दिनांक- 28.7.28
 प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, ग्रा०का०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि ग्रामीण कार्य विभाग के बेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड कर दी जाय।

सरकार के उप सचिव